



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास व ₹ 20,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 240A/2003 धारा- 307 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सुनील पुत्र रामसेवक 2.रामसेवक पुत्र बिहारी निवासीगण रमेडी तरौस थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को 07-07 वर्ष के कारावास व ₹20,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



ADGC
श्री राजेश तिवारी



विवेचक-
निरी० श्री रामनाथ
यादव



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का० बिजमान सिंह